प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.09.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त संजय पुत्र वेद प्रकाश द्वारा वादी के प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-324(4)/329(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा -338,336(3),340(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संजय पुत्र वेद प्रकाश निवासी दौलतनगर सादाबाद डूंगरावली लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने दौलतनगर सादाबाद डूंगरावली लोनी गाजियाबाद में स्थित प्लॉट को खसरा का गलत इस्तेमाल करके अपने दोस्त अली शेर के साथ मिलकर धोखाधडी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

संजय पुत्र वेद प्रकाश निवासी दौलतनगर सादाबाद डूंगरावली लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, व पूर्व में भी थाना ट्रोनिका सिटी पर धमकी देने व मारपीट करने के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु के प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.09.2026 को थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302/201/193 भादवि में अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र रुपचन्द निवासी फजलगढ थाना भोजपुर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गिरो0 अधि0)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 12 गाजियाबाद द्वारा धारा- 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 201

भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 07 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा- 193 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना भोजपुर द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी एवं गुणवत्ता पूर्ण विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री सुनील कौशिक द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभि0 उपरोक्त दिनेश कुमार द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को गांव के पास बने गन्दे नाले के किनारे छिपा दिया था मृतका के शव को अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में वादी उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह द्वारा थाना भोजपुर पर दिनांक 02.02.2023 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे / निशानदेही पर चोरी की 02 मोटर साइकिल , 01 स्कूटी व 02 चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 17/18.09.2026 की रात्रि को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. सूरज पुत्र देवेन्द्र हाल निवासी सीताराम बेकरी के पीछे आर्दश मॉंडल पब्लिक स्कूल वाली गली शीतल विहार खोड़ा कॉंलोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम रासानगरिया थाना परौर जनपद बदायूँ उम्र करीब 21 बर्ष, 2. राहिल पुत्र सलीम खान हाल निवासी कालू सीमेन्ट के पास शीतल विहार गली नं0- 03 खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 बर्ष को 21 नम्बर टंकी वाली गली से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे / निशानदेही पर चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व 02 चाकू बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज व राहिल के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों (सूरज व राहिल) मिलकर गाजियाबाद,नोएडा व दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी की घटना व मोबाइल फोन, चैन स्नैचिंग की घटनाओं को कारित करते है। इसलिए हम अपने पास अपने बचाव के लिये चाकू रखते हैं। हम दोनों ने कुछ दिन पहले दिल्ली से 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी चोरी की थी। हम दोनों मिलकर चोरी की मोटरसाइकिल को थाना खोड़ा में स्थित कब्रिस्तान की झाडियों में छिपाकर रख देते हैं और मौका मिलते ही इन्हें सस्ते दामों में बेच देते हैं। आज हम दोनों चोरी किये हुए वाहनों को बेचने की फिराक में 21 नम्बर टंकी वाली गली में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1- सूरज पुत्र देवेन्द्र हाल निवासी सीताराम बेकरी के पीछे आर्दश मडल पब्लिक स्कूल वाली गली शीतल विहार खोड़ा कलोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम रासानगरिया थाना परौर जिला बदायूँ उम्र करीब 21 वर्ष।

2- राहिल पुत्र रमजान निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली जिला बागपत उम्र करीब 20 वर्ष।

वरामदगी का विवरणः-

- कब्जे / निशानदेही पर चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व 02 व चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज व राहिल के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोडा में 01 अभियोग पंजीकृत है एवं दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।